

भारतीय कृषि में संचार की उपयोगिता

अनिल सिंह सोलंकी

भारतीय कृषि में कृषि-संचार की उपयोगिता का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि देश के 50 प्रतिशत से अधिक किसानों ने कृषि-संचार का उपयोग तक नहीं किया है। कृषि-संचार, जो विज्ञान संचार का एक उपवर्ग है, को कृषि विशेषज्ञों, कृषि विस्तार अधिकारी और स्वतंत्र लेखकों द्वारा किया जाता है। दूसरी ओर, कृषि पत्रकारिता के जिम्मे कृषि खोजों और उनके क्रियान्वयन पर जनता और समाज की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम है।

कृषि संचार का पहला काम मौसम परिवर्तन के आधार पर किसानों को सूचना देने का होगा। हालांकि सरकारी नीतियों में इसकी अनुपस्थिति से किसानों और कृषि अनुसंधान के बीच एक अंतर बन गया है। यह उपेक्षित क्षेत्र है। अतः कृषि संचार और कृषि पत्रकारिता को फिर से एक नए रूप ‘मोबिलाइजिंग मास मीडिया सपोर्ट फॉर शेयरिंग एग्रो-इन्फॉर्मेशन’ शुरू किया गया है। यह परियोजना 2009 से राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा देश भर के 10 कृषि अनुसंधान केंद्रों पर शुरू की गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जन संचार के माध्यमों से किसानों तक नए कृषि अनुसंधानों के परिणाम पहुंचाना है।

देश के लाखों किसान कृषि में हो रहे किसी भी नुकसान को सीधे-सीधे जलवायु परिवर्तन से जोड़कर नहीं देखते मगर 70 प्रतिशत किसानों का कहना था कि उनकी फसल बे-मौसम बारिश, सूखा, और बाढ़ की वजह से बर्बाद हुई है। 1994 में डी.जी. राव और एस.एन. सिन्हा ने बताया जलवायु परिवर्तन किसानों को क्षति पहुंचा रहा है। जैसे भारतीय कृषि में यदि आज उपरिथित कार्बन-डाईऑक्साइड की मात्रा दुगनी हो जाए, तो जलवायु परिवर्तन के चलते धान और गेहूं की पैदावार लगभग 28 से 68 प्रतिशत तक प्रभावित हो सकती है। तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से चावल की उपज में लगभग 0.75 टन/हैक्टर की कमी होने की संभावना है। कम उपज वाले तटीय क्षेत्रों में

लगभग 0.06 टन/हैक्टर तक की कमी हो सकती है। 0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से अधिक उपज देने वाले क्षेत्रों (जैसे, पंजाब, हरियाणा, और उत्तर प्रदेश) में पैदावार में लगभग 10 प्रतिशत तक कमी हो सकती है।

हर वर्ष करीब 2.7 लाख लोगों का जीवन समुद्र तटीय इलाकों में जल स्तर में वृद्धि होने से प्रभावित होता रहा है। ऐसे में किसानों से अपेक्षा है कि वे जलवायु परिवर्तन के चलते 2030 तक कृषि की पैदावार बिना तकनीकी सहायता के बढ़ाएं। हाल यह है कि जलवायु परिवर्तन में होने वाले बदलाव को समझने के लिए देश को बाहरी रिसर्च सेंटर्स पर निर्भर रहना पड़ता है। इस समस्या से पार पाने के लिए भारत में IPCC जैसे केन्द्र स्थापित करने होंगे।

मौसम विभाग बारिश के बारे में पहले से जानकारी देने में सक्षम है। बहुत कम लोग शायद जानते हैं कि भारतीय मौसम विभाग ओलावृष्टि की पूर्व जानकारी देने में सक्षम नहीं है। खराब मौसम के चलते इस वर्ष मध्य प्रदेश में 10 लाख टन गेहूं, 10 लाख टन चना, 3 लाख टन दालें और अन्य फसलें (1,50,000 टन) बर्बाद हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश में किसानों को राहत के तौर पर गेहूं में 15,000 रुपए प्रति हैक्टर के हिसाब से, महराष्ट्र में 10,000, 15,000 और 25,000 रुपए मुआवज़ा राशि क्रमशः वार्षिक, फलोद्यान और सिंचित फसलों के लिए देने का आशवासन किसानों को दिया गया है। जबकि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में अभी किसानों को मुआवज़ा मिलना बाकी है, क्योंकि वहां पर ‘फसल-कर्टाई विधि’ को मानक मानकर फसल हानि का अनुमान लगाकर क्षतिपूर्ति दी जाएगी। फसल-क्षति का जो कोई भी तरीका हो, फसल क्षति समय रहते किसानों को मिल जाए तो ये उनके लिए बहुत बड़ी मदद होगी। देश में 200 करोड़ रुपए सिर्फ फसल क्षति को पूरा करने में चला गया है।

कृषि संचार और कृषि पत्रकारिता में अंतर है। किसानों

पर इनके असर को लेकर हमें हाल के वर्षों के कुछ महत्वपूर्ण डैटा मिले। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार मध्य प्रदेश में गेहूं की उपज 26 किंवटल/एकड़ है, जो अच्छे मौसम में कुछेक किसान ही ले पाते हैं। औसतन तो गेहूं 18-20 किंवटल/एकड़ ही निकलता है, जो विशेषज्ञों द्वारा बताई गई उपज से 6-8 किंवटल/एकड़ कम है। इस वर्ष बै-मौसम बारिश और ओलावृष्टि ने गेहूं की इसी उपज को 10-14 किंवटल/एकड़ तक कर दिया है जो सरकारी औसत से 16-12 किंवटल/एकड़ एवं किसानों के असल औसत से 6-8 किंवटल/एकड़ तक कम है। सिर्फ किसान के औसत से ही इस वर्ष लगभग 9300 रुपए प्रति एकड़ रुपए का नुकसान किसानों को हुआ है। सरकार ने मुआवजा की राशि 7500 रुपए प्रति एकड़ का आश्वासन दिया है, जिसमें किसानों को 800 रुपए प्रति एकड़ का नुकसान मुआवजे के बाद भी है। यहां पर कृषि संचार जो सरकार के तंत्र द्वारा किया गया है, को संतुलित करने के लिए कृषि पत्रकारिता की सख्त आवश्यकता है ताकि किसानों की बात और उनकी खेती-बाड़ी का असल हाल सरकार के समक्ष ठीक-ठीक रखा जा सके।

दूसरी तरफ, मध्य प्रदेश में सोयाबीन फसल विगत 3-4 सालों से खराब हो रही है। पब्लिक-प्राइवेट सोयाबीन सेंटर्स वर्ष के शुरू में ही सोयाबीन फसल के अच्छा होने का अनुमान लगा लेते हैं। यह किसान के लिए तब बुरा होता जब वे इस पर आंख मूंदकर विश्वास करने लगते हैं और अधिक बुरा तब होता है जब कृषि संचार के तहत उनकी इस भविष्यवाणी को आधार मानकर संचार किया जाता है एवं किसान की फसल-बर्बादी को नकारा जाता है। इसका कारण है कृषि पत्रकारिता जो किसानों की दशा को ठीक से माप नहीं पाती। पत्रकारों के सीमित समय देने के कारण फार्म-रिपोर्टिंग ठीक से नहीं हो पाती जिसके फलस्वरूप कृषि संचार की फसल-भविष्यवाणी को ही सर्वोपरि मान लिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर इसे चुनौती देने की ज़रूरत है। यह काम स्थानीय मीडिया भलीभांति कर सकता है और उम्मीद की जाती है कि वे फार्म-रिपोर्टिंग अच्छी तरह से करें ताकि देश-दुनिया को खबर सही-सही लगे।

मशहूर लेखक बिल ब्रायसन कहते हैं, ‘एक किसान को तीन चीज़ें मार सकती हैं: आसमान से गिरने वाली बिजली, ट्रैक्टर से कुचला जाना, और बुढ़ापा।’ जलवायु परिवर्तन के तहत ‘खराब मौसम’ चौथा कारक होगा जो कृषि को बहुत हद तक प्रभावित कर सकता है, जो आगे चलकर उनकी मौत का कारण भी बन सकता है। फरवरी-मार्च में ओलावृष्टि ने विभिन्न राज्यों में गेहूं, दलहन, गन्ना, चना, सरसों, मक्का, मूंगफली, अंगूर, पपीता, आम, केला, और सब्जियों को लगभग 40-60 प्रतिशत तक बर्बाद कर दिया है।

हमारे देश में कुछ और ऐसे ही कारणों की वजह से लगभग 2,50,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं जिनमें 15 प्रतिशत महिलाएं थी। फिलहाल देश में 11 करोड़ किसान रह गए हैं, जो 2011 में 12 करोड़ थे। कुछ और सर्वे बताते हैं कि 76 प्रतिशत किसान खेती नहीं करना चाहते हैं, वहीं 61 प्रतिशत का कहना है कि अगर वे बड़ी जगहों पर रहते तो उच्च-शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोज़गार के अवसरों का लाभ उठाते। समय है कृषि-संचार और कृषि-पत्रकारिता पर काम करने की ताकि किसान और कृषि का विकास हो सके। (**स्रोत फीचर्स**)

वर्ग पहली 117 का हल

को	य	ला	ख	भि	म
प		र जो नि वृ त्ति			ल
ल	त		ज चि डि		या
	र	ज त प त्र			ल
ना	ल	क ठो र		स	म
इ		बो ली ख मी र			
ट्रो	ज न	बं		ल	क्ष
ज		सा व ज नि क			पि
न	ई	र द	श		क